

Welfare of Manual Scavengers

1. BACKGROUND

Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS)

The “Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013” (MS Act, 2013) came into force w.e.f. 6.12.2013. Accordingly, the SRMS Scheme was revised in consonance with the Act and the following main provisions have been made:-

- (i) One Time Cash Assistance of Rs. 40,000/- to identified manual scavengers (one per family)
- (ii) Skill Development Training with stipend @ Rs. 3,000/- per month
- (iii) Capital Subsidy upto Rs. 5.00 lakh for Self Employment Projects upto Rs. 15.00 lakh.
- (iv) Sanitation Workers and their dependants are provided capital subsidy upto Rs. 5.00 lakh and interest subsidy for sanitation related projects.
- (v) Coverage of Manual Scavengers for Health Insurance under Ayushman Bharat (PM-JAY) Yojana

2. During two surveys initiated by the Ministry of Social Justice and Empowerment in the year 2013 and 2018, for identification of manual scavengers, 58,098 manual scavengers have been identified. All these eligible manual scavengers have been provided One Time Cash Assistance of Rs. 40,000/-.

2. ACHIEVEMENTS

Achievements from 2013-14 to 15.3.2023

- (i) One Time Cash Assistance of Rs. 40,000/- provided to all identified eligible 58,098 manual scavengers (one per family)
- (ii) Covered 22,294 manual scavengers and their dependants under various Skill Development Training Programmes with stipend @ Rs. 3,000/- per month
- (iii) Capital Subsidy upto Rs. 5.00 lakh for Self Employment Projects provided to 1935 manual scavengers/dependants.
- (iv) Capital Subsidy upto Rs. 5.00 lakh for Sanitation Related Projects provided to 605 sanitation workers/dependants.

3. BENEFICIARY Details

S. No.	Name	Phone	Email	Benefit Details
1	Shri Saheb Basfore	9163134181	Not available	Capital subsidy of Rs. 60,000/- for purchase of E-Rickshaw
2	Group of Manual Scavengers	7501184535	Not available	Capital Subsidy of Rs. 3.25 lakh for purchase of Cesspool Emptyer.
3	Shri Jaspal	9023688859	Not available	Capital Subsidy of Rs. 90,000/- for purchase of Auto-Rickshaw.
4	Shri Gagan Kumar	9888601929	Not available	Capital Subsidy of Rs. 50,000/- for Kirana Shop.

5	Shri Kuku Kumar	7696249950	Not available	Capital Subsidy of Rs. 50,000/- for Cloth Business.
6	Sh. Harmesh Lal	Not available	Not available	Capital Subsidy of Rs. 25,000/- for Mobile repair shop.
7	Sh. Navneet Kumar	9559720524	Not available	4 month's training in plastic process from CIPET
8.	Kum. Jyoti	9696078793	Not available	6 month's training in plastic process from CIPET

SUCCESS STORIES

Shri Saheb Basfore

Shri Sahib Basfore is an identified manual scavenger in Kachrapara Municipality in District North 24 Parganas, West Bengal. He used to clean single pit manually. Not only the work was very dirty he was not getting regular income for living a life with dignity. He was identified as manual scavenger by the Kachrapra Municipality in 2013. In 2014 he sanctioned loan of Rs. 1.20 lakh for purchase of Toto (E-Rickshaw) under



the Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS). He was provided subsidy 50% of the cost of Toto i.e. Rs. 60,000/-. The rate of interest on the remaining amount of Loan is just 6% per annum. Sh. Basfore was also provided training to drive the Toto. Now he runs Toto in Kachrapara Municipality and earns upto Rs.

300 per day. Seven other identified manual scavengers who were also provided Toto are also running their Toto in Kachrapra Municipality. They are happy that they are living a life with dignity and are able to support their family.

Group of Manual Scavengers running Cesspool



Five identified manual scavengers in Tahirpur Municipality in District Nadia, have been provided with one Cesspool Emptier costing Rs. 14.10 lakh under the Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS). Rs. 3.25 lakh was subsidy and Rs. 10.85 lakh was soft loan @ 6% per annum. They were also provided training about driving and Motor Mechanic for 3 months. Tahirpur Municipality, West Bengal SC & ST Corporation and the beneficiaries entered into an MoU. As per this MoU, West Bengal SC & ST Corporation would finance the Cesspool Emptier. The Tahirpur Municipality would engage the Cesspool Emptier and manage the enquiries relating to the services of cesspool, collect charge from the users and pay the admissible amount to the manual scavenger group. The manual scavenger group would operate the cesspool emptier as per the calls received. All these five workers are also doing part-time work of cleaning at the Municipality Office from 7.00 AM to 10.30 AM. The



cesspool is a combined of a tractor, a 3000 ltr tank and an engine to suck liquid from the septic tank.

4. They are given duty as per the enquiry from public, for emptying septic tanks of households. On an average, they empty two septic tanks per day and earn Rs. 1200 to Rs. 1400/- a day. 50% of this amount is retained by the municipality towards fuel, repair expenses, payment of instalment of loan and

the remaining 50% is paid to the workers based on the number of days duties performed by them. Thus each one of them is getting Rs. 3000/- to Rs. 5000/- per month out of cesspool. In addition, each of them also get payment of Rs. 3,200/- per month for the early morning cleaning done by them at the municipality office. All five workers are satisfied by the income from the project and are happy that their lives have been changed with the efforts of the Government.



<u>नाम</u>	<u>श्री जसपाल</u>
<u>पिता</u>	<u>श्री हुकमचन्द</u>
<u>पता</u>	<u>म0 न0 2632/40 दशमेश नगर</u> <u>जेल रोड गली न013 बाल्मिकी</u> <u>बस्ती लुधियाना</u>
<u>पूर्व कार्य</u>	<u>आटो चालक एवं स्वच्छकारके</u> <u>पति</u>
एक मुश्त सहायता राशि	40000/-रु दिनांक 06.07.2015
<u>ऋण की राशि</u>	<u>1 लाख 80 हजार वर्ष 2017</u>
<u>वर्तमान कार्य</u>	<u>आँटो</u>
<u>वर्तमान आय</u>	<u>20000 रु0 प्रति माह</u>
<u>जिला</u>	<u>लुधियाना</u>
<u>राज्य</u>	<u>पंजाब</u>
<u>मोबाइल संख्या</u>	<u>9023688859</u>

श्री जसपाल निवासी जिला लुधियाना, श्रीमति बेबी, जो स्वच्छकार के रूप में चिन्हित है, के पति हैं। श्रीमति बेबी पहले हाथ से मैला उठाने का काम करती थी तथा वह मानसिक रूप से असामान्य हैं। श्री जसपाल किराय पर आँटो लेकर चलाते थे। आधे से अधिक कमाई आँटो के किराये में चली जाती थी। उनका परिवार मैला उठाने के कार्य को छोड़ना चाहता था लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनकी पत्नी मैला उठाने को मजबूर थी। समाज में इन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। भारत सरकार की एस0आर0एम0एस0 योजना के अर्न्तगत उनकी पत्नी श्रीमति बेबी को एक मुश्त सहायता राशि 40000/-रु दी गयी । श्री जसपाल ने एस0आर0एम0एस0 योजना के अर्न्तगत 1 लाख 80 हजार रुपये का लोन लिया और आँटो खरीदा और अब उनकी सारी कमाई घर में आने लगी। वे प्रति माह 20000/- रुपये से अधिक कमा लेते हैं। उनकी पत्नी बेबी ने भी मैला उठाने का काम छोड़ दिया है। अब श्री जसपाल अपने बच्चों की पढ़ाई व परिवार के स्वास्थ्य पर पूरा खर्च करते हैं और पूरा परिवार खुशी से जीवन यापन कर रहा है।



<u>नाम</u>	श्री गगन कुमार
<u>पिता का नाम</u>	श्री लालाराम
<u>पता</u>	म.न. 254 मौहल्ला धीरू की बस्ती
<u>पूर्व कार्य</u>	स्वच्छकार
एक मुश्त सहायता राशि	40000/-रु दिनांक 06.07.2015
<u>ऋण की राशि</u>	1 लाख वर्ष 2016
<u>वर्तमान कार्य</u>	किराना की दुकान
<u>वर्तमान आय</u>	15000रु0 प्रति माह
<u>जिला</u>	पटियाला
<u>राज्य</u>	पंजाब
<u>मोबाइल संख्या</u>	09888601929

श्री गगन कुमार पुत्र श्री लालाराम निवासी म0न0 254 मौहल्ला धीरू की बस्ती जिला पटियाला पंजाब, इससे पहले वह हाथ से मैला उठाने का काम करते थे। उस कार्य से इनकी पारिवारिक आय मात्र 1500/- रु थी तथा सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, समाज में इन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। इनके पिता जी के स्वर्गवास हो जाने पर घर में बहुत परेशानी थी घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। इन्होंने बताया कि घर में मेरे अलावा मम्मी और दो बहने हैं जिसमें से बड़ी बहन बी0कॉम कर रही हैं और दूसरी बहन एनएसकेएफडीसी द्वारा चलाये जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाओं के तहत कटिंग व सिलाई कोर्स कर रही हैं। भारत सरकार की एस0आर0एम0एस0 योजना के अर्न्तगत एक मुश्त सहायता राशि 40000/-रु के विषय में बात करने पर बहुत हर्ष के साथ बताया कि उन्हें यह राशि दिनांक 06.07.2015 को मिल गयी है। भारत सरकार की योजना से प्राप्त 40000/-रु की आर्थिक सहायता का लाभ उठाकर इन्होंने इस राशि से एक किराना दुकान खोली है। भारत सरकार की एस0आर0एम0एस0 योजना के द्वारा एक मुक्त राशि से उनके परिवार की अधिकांश परेशानी काफी हद तक कम हो गयी। उन्होंने बताया कि दुकान से करीब 15000रु0 प्रति माह कमा लेते हैं जिससे उनके परिवार का अधिकांश खर्च पूरे हो जाता है। गगन ने बताया कि उन्होंने बैंक से 1 लाख रुपये का लोन भी लिया है और लोन का सब पैसा दुकान में ही लगा दिया और अब उनकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है साथ ही वह लोन की मासिक किस्त समय से बैंक को दे रहे हैं। गगन के बताया उनके परिवार में अब कोई मैला उठाने का काम नहीं करते हैं। वह भारत सरकार की एस0आर0एम0एस0 योजना का दिल से आभार व्यक्त करते हैं।



नाम	श्री कुकु कुमार
पिता का नाम	श्री सीताराम
पता	म.न.283 मौहल्ला धीरू की बस्ती
पूर्व कार्य	स्वच्छकार
एक मुश्त सहायता राशि	40000/-रु दिनांक 06.07.2015
ऋण की राशि	1 लाख वर्ष 2016
वर्तमान कार्य	घर पर कपडों का काम
वर्तमान आय	15000रु0 प्रति माह
राज्य	पंजाब
मोबाइल संख्या	07696249950

श्री कुकु कुमार पुत्र श्री सीताराम निवासी म.न. 283 मौहल्ला धीरू की बस्ती जिला पटियाला पंजाब, पहले वह हाथ से मैला उठाने का काम करते थे तथा उस काम को छोड़ना चाहते लेकिन पैसा ना होने के कारण मजबूरी में कर रहे थे। उस कार्य से इनकी पारिवारिक आय 1500/-रु से 2000/-रु थी। सामजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, समाज में इन्हें घृणा की दृष्टि से देखा था। भारत सरकार की एस0आर0एम0एस0 योजना के अर्न्तगत एक मुश्त सहायता राशि 40000/-रु के विषय में बात करने पर इन्होंने बहुत हर्ष के साथ बताया कि यह राशि दिनांक 06.07.2015 मिल गयी है। इस योजना का लाभ उठाकर इन्होंने इस राशि से घर पर कपडों का काम किया। श्री कुकु ने बताया कि वे और उनकी पत्नी घर से कपडे का काम करते हैं। कुकु की पत्नी से बात करने पर उन्होंने के बताया कि अधिकांश काम वह स्वम् ही करती है क्योंकि उन्होंने पहले भी कपडों का काम किया था तथा कपडे के व्यापार का उन्हें अच्छा अनुभव है और बताया कि कपडों के अलावा ग्राहक के नाप से कपडे की सिलाई करके अपने ग्राहक को बेचती है तथा ग्राहक के पास पैसे ना होनी की स्थिति में वह किस्तों पर कपडों को बेचती है और उन्होंने बताया कि बैंक से उन्होंने 1 लाख का लोन लिया है और लोन का सारा पैसा कपडों के काम में लगा दिया है। उन्होंने बताया कि इस काम से उन्हें 15000/- हजार रुपये की मासिक बचत हो जाती है। उनके परिवार में अब कोई मैला उठाने का काम नहीं करता है। वह भारत सरकार की एस0आर0एम0एस0 योजना का दिल से आभार व्यक्त करते हैं।



<u>नाम</u>	<u>श्री हरमेश लाल</u>
<u>पिता का नाम</u>	<u>श्री रखा राम</u>
<u>पता</u>	<u>म0न0 26 बाल्मीकी बस्ती</u>
<u>पूर्व कार्य</u>	<u>स्वच्छकार</u>
<u>वर्तमान कार्य</u>	<u>मोबाईल की दुकान</u>
<u>वर्तमान आय</u>	<u>10000रु0 प्रति माह</u>
<u>जिला</u>	<u>होशियारपुर</u>
<u>राज्य</u>	<u>पंजाब</u>

श्री हरमेश लाल पुत्र श्री रखाराम निवासी म0न0 26 बाल्मीकी बस्ती जिला होशियारपुर, पंजाब पहले हाथ से मैला उठाने का काम करते थे। इस काम को छोड़ना चाहते थे लेकिन आर्थिक तंगी तथा अन्य किसी व्यवसायिक कार्य का अनुभव ना के कारण मजबूर थे। उस कार्य से इनकी पारिवारिक आय मात्र 2000/-रु प्रति माह थी तथा सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। समाज में इन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। भारत सरकार की एस0आर0एम0एस0 योजना के अर्न्तगत एक मुश्त सहायता राशि 40000/-रु के विषय में बात करने पर बहुत हर्ष के साथ उन्होंने बताया कि उन्हें यह राशि दिनांक 06.07.2015 मिल गयी है। भारत सरकार की योजना का मौके लाभ उठाकर 40000/-रु की आर्थिक सहायता से इन्होंने मोबाईल की दुकान खोली। इस बाद धीरे-धीरे अपनी दुकान को आगे बढ़ाया और लगन व मेहनत से काम को करता रहा और भारत सरकार की एस0आर0एम0एस0 योजना के अर्न्तगत 50 हजार रुपये का लोन लिया और सारा पैसा दुकान में लगा दिया और अब हमारी दुकान बहुत अच्छा चल रही और प्रति माह 10000/- रुपये से अधिक कमा लेते हैं। परिवार में मैला उठाने का काम अब कोई नहीं करता है। उन्होंने बताया कि पूरा परिवार खुशी से जीवन यापन कर रहा है। यह सब भारत सरकार की एस0आर0एम0एस0 योजना से हुआ।



नाम	श्री नवनीत कुमार
पिता का नाम	बच्चुलाल
पता	शाहबाद
पूर्व कार्य	स्वच्छकार
वर्तमान कार्य	डीक्सन टेक्नोलोजी कम्पनी में नौकरी
वर्तमान आय	12750 रु0 प्रति माह
जिला	हरदोई
राज्य	उत्तर प्रदेश
मोबाइल संख्या	9559720524

श्री नवनीत कुमार की माता जी पहले मैला उठाने का कार्य करती थी जिसके कारण वे काफी गरीबी में अपना जीवनयापन करते थे और समाज में उन्हें बहुत ही हैय दृष्टि से देखा जाता था। श्री दीपक कुमार ने कक्षा 8 की पढ़ाई की तथा आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उसकें लिए उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनकी मासिक आय मात्र रु0 2500—3000 /— थी जिस कारण परिवार का खर्च उठाना बहुत मुश्किल होता था। उसके बाद एन.एस.के. एफ.डी.सी. के माध्यम से उनको सिपेट जैसे बड़े संस्थान में 4 महिने के व्यवहारिक कोर्स के लिए दखिला मिला। कोर्स पूरा होने के बाद Dixon Technology ltdजैसीMulti National Companyमें रु0 12750 की नौकरी मिली। अब वे अपने परिवार व अपने जीवन को अच्छे से चला रहे है श्री दीपक कुमार एन.एस.के. एफ.डी.सी का आभार व्यक्त करते है।



कुं0 ज्योति की माता जी मैला उठाने का कार्य करती थी इनकी इच्छा थी कि वह पढ़-लिखकर कुछ नया करे जिससे अपने परिवार की मदद कर सकें और एक लड़की होते हुए भी खुद सशक्त बनें। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सब असम्भव लगता था। फिर समाचार-पत्र के माध्यम से एन.एस.के.एफ.डी.सी की कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी मिली जिसके माध्यम से सिपेट इन्सटिट्यूट से 06 महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया और अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए रोजगार भी प्राप्त किया अभी वें “प्रिसं इन्डसट्रिस हार्डवेयर” में कार्य कर रही है। और उनको रू0 12000 प्रतिमाह वेतन मिल रहा है। अब उनको एन.एस.के.एफ.डी.सी के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने का रास्ता मिला। उनका मानना है कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सतत चलते रहने चाहिए जिससे और जरूरतमंदों का भविष्य उज्ज्वल होता रहे।

<u>नाम</u>	कुं0 ज्योति
<u>पिता का नाम</u>	शंकर
<u>पता</u>	स्त सुदरसन पुरी, राजेन्द्र नगर, लखनऊ-226004
<u>पूर्व कार्य</u>	स्वच्छकार
<u>वर्तमान कार्य</u>	प्रिसं इन्डसट्रिस हार्डवेयर
<u>वर्तमान आय</u>	12000 रू0 प्रति माह
<u>जिला</u>	लखनऊ
<u>राज्य</u>	उत्तर प्रदेश
<u>मोबाइल न0</u>	9696078796

5. HIGH RESOLUTION IMAGES



SRMS capital subsidy and loan beneficiary at Lucknow.



SRMS capital subsidy and loan beneficiary Fatehgarh Sahib in Punjab.



SRMS capital subsidy and loan beneficiary for Sanitation Related Project at Ghaziabad.



**SRMS capital subsidy and loan beneficiary for Sanitation
Related Project with Mayor, Ghaziabad .**



A group of Women Sanitation Workers who availed capital subsidy and loan beneficiary for Sanitation Related Project at Berhampur, Ganjam, Odisha.



SRMS capital subsidy and loan beneficiary at Ludhiana.



**SRMS loan and capital subsidy beneficiaries at Badaun,
Uttar Pradesh.**



SRMS loan and capital subsidy beneficiary at Fatehgarh Sahib, Punjab.